



भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/दिल्ली/06/02/2021 | 539

दिनांक : 05.03.2024

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन एवं वन्यजीव विभाग, ए-ब्लाक, द्वितीय तल,
विकास भवन, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली-110002

Online Proposal No. FP/DL/Road/48557/2020

विषय: Proposal for diversion of 35.16 ha. Reserved forest land for construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabgharh Bypass junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojna by NHAI-reg.

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, दिल्ली का पत्रांक 09/FCA/NHAI/2020-21/6270-74, दिनांक 28.11.2023.
महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 09/FCA/NHAI/2020-21/10898-10901, dated 17.02.2021 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी गयी थी।

प्रकरण में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को संशोधित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्रकरण को दिनांक 12.01.2024 को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. 1.5 (Delhi) सम्मिलित किया गया था। बैठक में क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने राज्य सरकार के क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को संशोधित करने के अनुरोध पर विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तों पर प्रकरण को स्वीकृति प्रदान की है :-

- 1- Certificate from Govt. to be provided for non-availability of non-forest land for CA.
- 2- NHAI to provide certificate that no acquisition of non-forest land is required in the said project.

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिसके उपरान्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण में संशोधन हेतु कार्यालय द्वारा संशोधित सैद्धांतिक स्वीकृति का पत्र जारी किया जाएगा।

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रमुख सचिव (पर्यावरण एवं वन), दिल्ली राज्य सरकार, छठवा स्तर, सी-अनुभाग, दिल्ली सचिवालय, आई0पी0 इस्टेट, नई दिल्ली-110002.
2. उप वन संरक्षक, पश्चिम वन प्रभाग, मंदिर लेन, नई दिल्ली-110060।
3. उप वन संरक्षक, दक्षिण वन प्रभाग, करणी सिंह शूटिंग रेंज के पास, तुगलखाबाद, नई दिल्ली-110044।
4. चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर(दिल्ली), नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, कॉरिडोर मैनेजमेंट यूनिट-मथुरा, प्लॉट नं० 8, नियर सराय टोल प्लाजा बिल्डिंग, मथुरा रोड, फरीदाबाद-121003।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केंद्रीय)